प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत **29/1/2024** को मैसर्स अश्विन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित **3995.096** ग्राम परिष्कृत सोने (**24 कैरेट**) के रूप में लगभग **2.16** करोड़ रुपए मूल्य की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स अश्विन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, संजय सुराव निकम, के.ओ.एंटो और **13** अन्य को सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, एर्नाकुलम द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के आधार पर जांच शुरू की। उक्त कारण बताओ नोटिस को सोने की जब्ती, शुल्क की प्रतिपुष्टी मांग और व्यक्तिगत दंड अभ्यारोपण के आदेशों के साथ न्यायनिर्णीत किया गया था। तदोपरांत, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचीन ने सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** की धारा **135 (1) (i)** के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एसीजेएम (ईओ), एर्नाकुलम के समक्ष संजय सुराव निकम और के.ओ.एंटो के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दर्ज की। सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** की धारा **135** के तहत अभियोजित अपराध पीएमएलए, **2002** के तहत अनुसूचित अपराध से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला है कि मैसर्स अश्विन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने कोचीन में अपनी एसईजेड इकाई में 995 शुद्धता के कुल 3,85,512.5 ग्राम सोने की छड़ें आयात की थीं, और उक्त एसईजेड इकाई द्वारा **05.04.2012** से **08.08.2012** की अवधि के दौरान सोने के आभूषणों के रूप में केवल **3,36,727.036** ग्राम उक्त सोने का निर्यात किया गया और **48,785.036** ग्राम अंतर मात्रा के लिए कोई निर्यात नहीं किया गया। मैसर्स अश्विन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजे गए **48,785.036** ग्राम आयातित सोने में से **27,598.711** ग्राम सोना/आभूषण सीमा शुल्क (निवारक) द्वारा तलाशी अभियान के दौरान उन पांच सोना विनिर्माण इकाइयों से बरामद किए गए, जिन्हें ये आयातित सोना अवैध रूप से विक्रय किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय ने अश्विन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से बेचे गए **3995** ग्राम अतिरिक्त सोने का पता लगाया, जिसे अब अनंतिम रूप से जब्त किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****